



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3052]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 3, 2018/श्रावण 12, 1940

No. 3052]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 3, 2018/SHRAVANA 12, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2018

का.आ. 3845(अ).—केन्द्रीय सरकार जैव-विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जम्मू और कश्मीर सरकार के साथ परामर्श करके, एतद्वारा नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (2) में यथासूचीबद्ध पादपों और पशुओं की प्रजातियों, जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, को जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए अधिसूचित करती है तथा इस अधिसूचना के अनुबंध में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन उनके संग्रहण को प्रतिबंधित या विनियमित करती है, अर्थात्:-

तालिका

क्र.सं.	प्रजातियों के नाम
(1)	(2)
	पादप
1.	एकोनिटम काषमेन्थम स्टाफ (रेननकुलेसी)
2.	एकोनिटम डिइनोराइजम स्टाफ (रेननकुलेसी)
3.	एकोनिटम हेटरोफाइलम वाल. एक्स. रॉयल (रेननकुलेसी)
4.	एकोनिटम कष्मीरीकम स्टाफ एक्स. कोवेन्ट्री (रेननकुलेसी)
5.	एकोनिटम वायोलेसियम जैक. एक्स. स्टाफ (रेननकुलेसी)
6.	इरिमोस्टाइचिस सुपर्बा रॉयल एक्स. बेंथ (लेमिऐसी)
7.	जेन्थियाना ओरनाटा वाल. एक्स. ग्रीस्व (जेन्थियानेसी)
8.	जेन्थियाना कूर्सो रॉयल, (जेन्थियानेसी)
9.	लेगोटिस कैश्मीररियाना (रॉयल) रुपर. (प्लांटाजिनेसी)
10.	मेकोनोप्सिस लेटिफोलिया (प्रेन) प्रेन (पपावरेसी)

11.	मेकोनोप्सिस एक्युलियाटा रॉयल (पपावरेसी)
12.	सॉसूरिया कॉस्टस (फाल्क.) लिप्च. (एस्टेरेसी)
13.	सॉसूरिया मूडूसा मैकिजम. (एस्टेरेसी)
14.	सॉसूरिया सिम्पसोनियाना (फिल्लिंग एवं गार्डनर) लिप्च. (एस्टेरेसी)
15.	सोफोरा मूरक्रोफटीयाना बेंथ. एक्स. बेकर (लेग्यूमिनोसी)
16.	पोडोफायलम हेक्जेन्ड्रम रॉयल (बरबेरीडेसी)
17.	डाक्टार्डिलोराइजा हाटाजिरिया (डी. डान) सू (आर्किडेसी)
18.	पिक्रोराइजा कुरी रॉयल एक्स. बेंथ (प्लांटाजिएसी)
19.	बिटूला यूटेलिस डी. डान (बेटूलेसी)
20.	टैक्सस वालिचियाना जूक्क. (टैक्सेसी)

क्र.सं.	प्रजातियों के नाम
(1)	(2)
	पशु
1.	गर्वेस हंगलू वेगनर, 1844
2.	कैपेरा फलकनेरी (वैगनर, 1839)
3.	कोन अलपीन्स लानिगर पोकोक, 1936
4.	मोसचुस कूपरेउस ग्रब, 1982
5.	पथोलोपुस होदगसोनी (एबल, 1826)
6.	प्रोकैपर पिक्टिकउदाता होदगसन्, 1846
7.	पेंथेरा उन्सिया (स्क्रैबर, 1775)
8.	हेमित्रगुस जेमलहिक्स (स्मिथ, 1823)
9.	जिपस बेंगलेंसिस (गमेलिन, 1788)
10.	ट्रैगोपान मेलनिसफलुस (ग्रे, 1829)

2. स्तंभ (2) में सूचीबद्ध पादपों और पशुओं की प्रजातियों के संग्रहण का, जम्मू और कश्मीर राज्य जैव-विविधता बोर्ड द्वारा केवल नीचे उल्लिखित प्रयोजनों के लिए प्रदत्त मंजूरी से किए गए संग्रहण को छोड़कर, निषेध किया जाएगा, अर्थात्:-

(क) वैज्ञानिक अनुसंधान;

(ख) वैज्ञानिक और शैक्षिक संस्थानों का वनस्पति संग्रहालय एवं संग्रहालय;

(ग) प्रवर्धन; और

(घ) अन्य कोई वैज्ञानिक अन्वेषण।

3. जम्मू और कश्मीर जैव-विविधता बोर्ड निम्नांकित कार्य संचालित करेगा:-

(i) समग्र जानकारी के लिए अधिसूचित प्रजातियों के सभी पहलुओं का अध्ययन;

(ii) उसी स्थान पर और उस स्थान के बाहर संरक्षण तथा पुनर्वर्धन हेतु अधिसूचित प्रजातियों का प्रवर्धन; और

(iii) वन विभाग के कार्मिकों, जैव-विविधता प्रबंधन समितियों, पारि-पर्यटन कार्यक्रमों तथा वनवासियों एवं जन-जातीय लोगों के लिए अधिसूचित प्रजातियों के संबंध में जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन करना और शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराना।

[फा.सं. 28-12/2008-सीएस-III]

डॉ. सुजाता अरोड़ा, सलाहकार/वैज्ञानिक 'जी'

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd August, 2018

S.O. 3845(E).—In exercise of the powers conferred by section 38 of the Biological Diversity Act, 2002 (18 of 2003), the Central Government, in consultation with the Government of Jammu and Kashmir, hereby notifies the species of plants and animals which are on the verge of extinction, as listed in column (2) of the Table given below, and prohibit or regulate the collection thereof subject to the conditions specified in the Annexure to this notification, for the State of Jammu and Kashmir, namely:—

Sl. No.	Name of the species
(1)	(2)
	Plants
1.	<i>Aconitum chasmanthum</i> Stapf (Ranunculaceae)
2.	<i>Aconitum deinorrhizum</i> Stapf (Ranunculaceae)
3.	<i>Aconitum heterophyllum</i> Wall. Ex. Royle (Ranunculaceae)
4.	<i>Aconitum kasmiricum</i> Stapf Ex. Coventry (Ranunculaceae)
5.	<i>Aconitum violaceum</i> Jacq. Ex. Stapf ((Ranunculaceae)
6.	<i>Eremostachys superba</i> Royle Ex. Benth (Lamiaceae)
7.	<i>Gentiana ornata</i> Wall. Ex. Griseb (Gentianaceae)
8.	<i>Gentiana kurro</i> Royle, (Gentianaceae)
9.	<i>Lagotis cashmeriana</i> (Royle) Rupr. (Plantaginaceae)
10.	<i>Meconopsis latifolia</i> (Prain) Prain (Papaveraceae)
11.	<i>Meconopsis aculeata</i> Royle (Papaveraceae)
12.	<i>Saussurea costus</i> (Falc.) Lipsch. (Asteraceae)
13.	<i>Saussurea medusa</i> Maxim. (Asteraceae)
14.	<i>Saussurea simpsoniana</i> (Fielding & Gardner) Lipsch. (Asteraceae)
15.	<i>Sophora moorcroftiana</i> Benth. Ex. Baker (Leguminosae)
16.	<i>Podophyllum hexandrum</i> Royle (Berberidaceae)
17.	<i>Dactylorhiza hatagirea</i> (D. Don) Soo (Orchidaceae)
18.	<i>Picrorrhiza kurroa</i> Royle Ex. Benth (Plantagiaceae)
19.	<i>Betula utilis</i> D. Don (Betulaceae)
20.	<i>Taxus wallichiana</i> Zucc. (Taxaceae)

Sl.No.	Name of the species
(1)	(2)
	Animals
1.	<i>Gerous hanglu</i> Wagner, 1844
2.	<i>Capra falconeri</i> (Wagner, 1839)
3.	<i>Cuon alpines laniger</i> Pocock, 1936
4.	<i>Moschus cupreus</i> Grubb, 1982
5.	<i>Pantholops hodgsonii</i> (Abel, 1826)
6.	<i>Procapra picticaudata</i> Hodgson, 1846
7.	<i>Panthera uncia</i> (Schreber, 1775)
8.	<i>Hemitragus jemlahicus</i> (Smith, 1823)
9.	<i>Gyps bengalensis</i> (Gmelin, 1788)
10.	<i>Tragopan melanocephalus</i> (grey, 1829)

2. The collection of the species of plants and animals listed in column (2) of the table shall be prohibited, except with the approval of the Jammu and Kashmir State Biodiversity Board only for the purposes mentioned below, namely:-

- Scientific research;
- Herbarium and museum of scientific and academic institutions;
- Propagation; and
- Any other scientific investigation.

3. The Jammu and Kashmir State Biodiversity Board shall undertake:-

- studies on all aspects of the notified species for holistic understanding;
- propagation of the notified species for the purpose of *in situ* and *ex situ* conservation and rehabilitation; and
- awareness programmes and provide educational materials on notified species for forest department personnel, Biodiversity Management Committees, ecotourism programmes, and forest dwellers and tribals.

[F. No. 28-12/2008-CS-III]

Dr. SUJATA ARORA, Adviser/Scientist 'G'

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2018

का.आ. 3846(अ).—केन्द्रीय सरकार जैव-विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, असम सरकार के साथ परामर्श करके, एतद्वारा नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (2) में यथासूचीबद्ध पादपों और पशुओं की प्रजातियों, जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, को असम राज्य के लिए अधिसूचित करती है तथा इस अधिसूचना के अनुबंध में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन उनके संग्रहण को प्रतिबंधित या विनियमित करती है, अर्थात्:-

तालिका

क्र.सं.	प्रजातियों के नाम
(1)	(2)
	पादप
1.	मैग्नोलिया कैथकार्टिआई (हुक. एफ. एवं थॉमसन)
2.	मैग्नोलिया ग्रिफिथआई (हुक. एफ. एवं थॉमसन)
3.	मैग्नोलिया मन्नाई (किंग) फिग्लर
4.	मैजूआ असामिका (किंग एवं प्रेन) कोस्टरम
5.	पेफियोपेडिलियम स्पाईसेरिरेनम (रेक्ब. एफ.) फिट्जर
6.	वटिका लेंसिफोलिया (रॉक्सबर्घ) ब्लूम
7.	साइकस पेक्टिनाटा बुक्च.—हैम.

क्र.सं.	प्रजातियों के नाम
(1)	(2)
	पशु
1.	सरसोगीपस कैल्वास (स्कोपोली, 1786)
2.	सनेमासपीस असामेंसिस (दास और सेनगुप्ता 2000)
3.	गेक्को गेको (लिनिअस, 1958)

4.	निल्सोनिआ निग्रिकान्स (एंडरसन, 1875)
5.	चितरा इंडिका (ग्रे, 1831)
6.	इन्डोटेस्टोडो एलोनगता (ब्लिथ, 1854)
7.	मनोरिआ एमिस (हिलेगल और मुलर, 1844)

2. स्तंभ (2) में सूचीबद्ध पादपों और पशुओं की प्रजातियों के संग्रहण का, असम राज्य जैव-विविधता बोर्ड द्वारा केवल नीचे उल्लिखित प्रयोजनों के लिए प्रदत्त मंजूरी से किए गए संग्रहण को छोड़कर, निषेध किया जाएगा, अर्थात्:-

- (क) वैज्ञानिक अनुसंधान;
- (ख) वैज्ञानिक और शैक्षिक संस्थानों का वनस्पति संग्रहालय एवं संग्रहालय;
- (ग) प्रवर्धन; और
- (घ) अन्य कोई वैज्ञानिक अन्वेषण।

3. असम जैव-विविधता बोर्ड निम्नांकित कार्य संचालित करेगा:-

- (i) समग्र जानकारी के लिए अधिसूचित प्रजातियों के सभी पहलुओं का अध्ययन;
- (ii) उसी स्थान पर और उस स्थान के बाहर संरक्षण तथा पुनर्वर्धन हेतु अधिसूचित प्रजातियों का प्रवर्धन; और
- (iii) वन विभाग के कार्मिकों, जैव-विविधता प्रबंधन समितियों, पारि-पर्यटन कार्यक्रमों तथा वनवासियों एवं जन-जातीय लोगों के लिए अधिसूचित प्रजातियों के संबंध में जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन करना और शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराना।

[फा.सं. 28-12/2008-सीएस-III]

डॉ. सुजाता अरोड़ा, सलाहकार/वैज्ञानिक 'जी'

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd August, 2018

S.O. 3846(E).—In exercise of the powers conferred by section 38 of the Biological Diversity Act, 2002 (18 of 2003), the Central Government, in consultation with the Government of Assam, hereby notifies the species of plants and animals which are on the verge of extinction, as listed in column (2) of the Table given below, and prohibit or regulate the collection thereof subject to the conditions specified in the Annexure to this notification, for the State of Assam, namely:—

TABLE

Sl.No.	Name of the species
(1)	(2)
Plants	
1.	<i>Magnolia cathcartii</i> (Hook.f. &Thompson)
2.	<i>Magnolia griffithii</i> (Hook.f. &Thompson)
3.	<i>Magnolia manni</i> (King) Figlar
4.	<i>Mesua assamica</i> (King and Prain) Kosterm
5.	<i>Paphiopedilium spicerianum</i> (Rchb.f.) Pfitzer
6.	<i>Vatica lanceaefolia</i> (Roxburgh) Blume
7.	<i>Cycas pectinata</i> Buch.-Ham.

Sl.No.	Name of the species
(1)	(2)
Animals	
1.	<i>Sarcogyps calvus</i> (Scopoli, 1786)
2.	<i>Cnemaspis assamensis</i> (Das and Sengupta 2000)

3.	<i>Gekko gecko</i> (Linnaeus, 1958)
4.	<i>Nilssonia nigricans</i> (Anderson, 1875)
5.	<i>Chitra indica</i> (Grey, 1831)
6.	<i>Indotestudo elongata</i> (Blyth, 1854)
7.	<i>Manouria emys</i> (Schlegel and Muller, 1844)

2. The collection of the species of plants and animals listed in column (2) of the table shall be prohibited, except with the approval of the Assam State Biodiversity Board only for the purposes mentioned below, namely:-

- (a) Scientific research;
- (b) Herbarium and museum of scientific and academic institutions;
- (c) Propagation; and
- (d) Any other scientific investigation.

3. The Assam State Biodiversity Board shall undertake:-

- (i) studies on all aspects of the notified species for holistic understanding;
- (ii) propagation of the notified species for the purpose of *in situ* and *ex situ* conservation and rehabilitation; and
- (iii) awareness programmes and provide educational materials on notified species for forest department personnel, Biodiversity Management Committees, ecotourism programmes, and forest dwellers and tribals.

[F. No. 28-12/2008-CS-III]

Dr. SUJATA ARORA, Adviser/Scientist 'G'

RAKESH
SUKUL

Digitally signed by
RAKESH SUKUL
Date: 2018.08.21
12:02:58 +05'30'